कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 346 / 12-1(2) नई टिहरी, दिनांक- 23/8/ 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा,
जनपद-टिहरी गढवाल।

विषयः- **जनपद-टिहरी में भोनाबागी चवालखेत डाण्डा नई टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0-8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 54 / 2015 / एफ0सी0 / 417, दिनांकः-09-06-2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांकः-3810 / FP/UK/ROAD/8893/2014, दिनांकः-13-06-2017 ।

महोदय,

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-टिहरी में भोनाबागी चवालखेत डाण्डा नई टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्न प्रकार अनुपालन किया जायेगा:-

1- **शासन की शर्त सं0-01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.15 है0 ग्राम-बुडोगी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0-7,97,996.00 (सात लाख सतानबे हजार नौ सौ छियानबे मात्र) जमा की जायेगी।

ग्राम-बुडोगी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र अमल-दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

2- **शासन की शर्त सं0-02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांकः-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि मु0-10,34,775.00 (दस लाख चौंतीस हजार सात सौ पिच्चहत्तर मात्र) जमा किया जायेगा।

3- **शासन की शर्त सं0-03** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4- **शासन की शर्त सं0-04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0-5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांकः-05-02-2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5- **शासन की शर्त सं0-05** के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 कोको रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

O/C

संख्या : 346 / 12-1(2) दिनांकित।

प्रतिलिपिः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 कोको रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

PK/Word/demand & Complince